शोध मंथन, 2018 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 5.463 (SJIF)
UGC Approved Journal No. 40908

खेतिहर मजदूर : दशा व दिशा

डॉ0 अनूप सिंह सांगवान्
एसो0 प्रोफे0, राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद

सारांश

भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास व प्रगति मे कृषि क्षेत्र का एक अहम स्थान है। हमारी राष्ट्रीय आय मे 18 प्रतिशत भागीदारी कृषि क्षेत्र से व कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा कृषि व सम्बद्व कार्यो मे लगा हुआ है देश के निर्यातों मे भी कृषि क्षेत्र का 16 प्रतिशत हिस्सा है तथा देश की तेजगति से बढ़ रही जनसंख्या को आवश्यक खाधानों फलो व सब्जियों की आपूर्ति कृषक के द्वारा ही की जाती है। कृषि अतिरेक से उत्पन्न बचत को निवेश करके पूंजी निर्माण मे सहयोग भी इस क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। जिससे देश का आर्थिक विकास सम्भव हो पाता है। परन्तु आज कृषक विशेषकर कृषि मजदूर की दशा बेहद चिन्तनीय व दयनीय है, वह सबसे गरीब, पिछड़ा और उपेक्षित वर्ग है। उसकी आय और रोजगार अनियमित है। उसके पास शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वह ऋण ग्रस्त व शोषित है तथा इनमें संगठन का अभाव होने की वजह से ये अपने अधिकारों के लिए आवाज नही उठा पाते है। यधपि पिछले 70 वर्षो में सरकार द्वारा इनकी दशा बेहतर करने के लिए प्रयास जारी है। परन्तु उतने नही होने पा रहे है जितना की इनको समाज की सामान्य धारा मे लाने के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत लेख मे खेतिहर मजदूरों की संख्या मे वृद्वि होने के कारण, इनकी समस्याऐं व सरकारी उपायों व समाधान के विषय मे जानने का प्रयास किया जाये।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:
डॉ0 अनूप सिंह सांगवान्

खेतिहर मजदूर : दशा व दिशा

शोध मंथन, जून 2018,
पेज सं0 13–18

Article No. 3
http://anubooks.com
?page_id=581

''कृषि सुधार की किसी भी योजन में कृषि श्रमिको को शामिल न करना देश की अर्थ व्यवस्था मे एक भयंकर घाव को बिना महरम पट्‌टी के छोड़ देने के समान है।''

'' कृषि सुधार समिति ''

खेतीहर मजदूर (कृषि श्रमिक) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है। जिसकी आय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक आमदनी खेतो पर मजदूरी से प्राप्त होता है। खेतिहर मजदूरों की आय का प्रमुख स्त्रोत खेतो पर मजदूरी है। इनके पास जीविका कमाने के लिए अपनी मेहनत के अलावा और कुछ नही होता। कृषि श्रमिक अकुशल होते है व इनमे संगठन का अभाव पाया जाता है। भारत मे कृषि श्रमिक सबसे गरीब, पिछड़ा एवं उपेक्षित वर्ग है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से हमारे समाज का यह सबसे कमजोर वर्ग है इनकी मजदूरी व काम करने की दशाऐं बहुत निम्नस्तर की है व इसके साथ ही इन्हें साल मे कुछ ही महीनों के लिए रोजगार मिलने पाता है इस वजह से इनका रहन–सहन का स्तर काफी दयनीय है 1947 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी दशा को सुधार ने का कोई विशेष प्रयास नही किया गया, परन्तु आजादी के बाद भारत सरकार ने इनकी स्थिति को सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए है।

इस लेख में हम खेतिहर मजदूरों श्रेणियां, इनमे निरन्तर हो रही द्वारा किए जा रहे प्रयासो पर विचार करेगे।

कृषि श्रमिको की श्रेणियाँः–

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था मे दो प्रकार के कृषि श्रामिक पाए जाते हैः प्रथम–बन्धुआ मजदूर और दूसरे अस्थाई या आकस्मिक मजदूर। बन्धुआ मजदूर किसी भी किसान या जमीदार के साथ स्थायी तौर से जुड़े होते है, ये प्रायः स्वतन्त्र नही होते। इनके काम करने के घन्टे सामान्य से अधिक होते है। खेती के अतिरिक्त इनको जमीदार के घरेलु कार्य भी करने पड़ते है। अस्थायी मजदूर कभी–कभी किसान के खेत मे कार्य करते है और इन्हें मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है। ये प्रायः और जगह पर काम करने के लिए भी स्वतन्त्र होते है।

खेतिहर मजदूरों की सख्या मे तेजी से वृद्वि के कारणः

भारत मे कृषि श्रमिको की अवस्था बहुत समिति व इसके बाद 1966 मे दूसरी कृषि जांच समिति नियुक्त भी गई 1951 मे कुल श्रमिको (13.9 करोड़) मे खेतिहर मजदूरों की संस्था 2 करोड़ 75 लाख थी क्योकि 2011 में कुल श्रमिको संख्या (48.17 करोड़) थी इसलिए इस वर्ष कुल श्रमिको का 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूरो के रूप मे काम कर रहा था।

कृषि श्रमिको की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक तथा भारत मे खेतिहर श्रमिको की सख्या मे निरन्तर वृद्वि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैः–

(1) 1921 के बाद से ही भारत भी जनसंख्या मे तेजगति से वृद्वि हो रही है परन्तु अर्थव्यवस्था में उस गति से विकास नही होने पाया है बढ़ी हुई जनसंख्या के एक बड़े भाग को गैर कृषि कार्यो मे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध न हो पाते के कारण कृषि श्रमिको की संख्या मे लगातार वृद्वि हो रही है।

(2) भारत मे ब्रिटिश शासन काल मे कुटीर उधोगो तथा हस्त–शिल्पकारो का पतन हुआ तथा उनके स्थान पर बड़े उधोगों की स्थापना भी नही की गई। इन कुटीर उधोगो तथा हस्तशिल्पो से हटे श्रमिको को विस्तृतः कृषि श्रमिक बनकर ग्रामीण क्षेत्र मे जाना पड़ा।

(3) भारतीय कृषि मे मध्यस्यो के विकास के परिणाम स्वरूप धीरे–2 कृषि भूमि छोटे किसानो के हाथ से निकलती गई और वो या तो काश्तकार हो गए या उनकीहैसियत खेतिहर–मजदूर की रह गई। यही नही, आजादी के बाद जब जमीदारी प्रथा समाप्त हुई तब अनेक जमीदारों ने स्वंय काश्त की आड़ लेकर भूमि से वंचित कर दिया। जिससे वे काश्तकारो को लोग खेती में मजदूरी करने लगे।

(4) उत्तराधिकार सम्बन्धित कानून का कृषि पर जोतो के उपविभाजन और विखण्डन केरूप मे बुरा असर पड़ा। इसके फलस्वरूप देश मे अधिकांश के रूप मे बुरा असर पड़ा। इसके फलस्वरूप देश मे अधिकांश जोते अनार्थक हो गई और किसानो के लिए अपनी खेती से जीवन यापन असम्भव हो गया। ये छोटे किसान जमीदारो केयहां खेतो पर मजदूरी करने लग गये।

अन्तिम–

कृषि मे छेटे किसानो की बढ़ती हुई ऋणग्रसता भी खेतिहर मजदूरों की संख्या बढाने के लिए जिम्मदार हैं। निःसर्न्दह इस चुंगल से निकलने के लिएकृषको कायह वर्ग अपनी आय बढ़ाने हेतु दूसरों के खेत पर कार्य करने का विवश हो जाते है।

खेतिहर मजदूरो की स्थिति व समस्याऐंः–

खेतिहर मजदूर आज भी सबसे अधिक गरीब, पिछड़ा और शोषित वर्ग है। उनके असंगठीत एवं अकुशल होने की वजह से अभी भी उनकी आय का स्तर बहुत कम है। अभी भी उनकी आय का स्तर बहुत कम है। अभी भी उनका उपभोग स्तर बहुत कम है। 1951 से 2011 के बीच खेतिहर मजदूरों की संख्या मे चार गुणा बढ़ौतरी हुई है व कृषि मे श्रम शक्ति मे खेतिहर मजदूरो का अनुपात 1951 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2011 मे 56 प्रतिशत हो गया है अर्थात और अधिक मजदूर ''हाशिए पर'' जिन्दगी जीने को मजबूर है। हालाकि 1966–67 की हरित–क्रान्ति के आने से मजदूर परिवारों की मौद्रिक आय मे वृद्वि हुई है परन्तु कीमतो मे भी तेजवृद्वि हुई इसलिए वास्तविक मजदूरी को अपनी सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियो का निर्वाहन करना पड़ता है और उसके लिए उन्हें साहूकारों व महाजनो से ऋण लेना पड़ता है और उसके लिए उन्हें साहूकारों व महाजनों से ऋण लेना पड़ता हैमहाजन ऊंची ब्याज दर भी लेते है व इनका कई प्रकार से शोषण करते है। सभी व बाल श्रमिको को भी सामान्य से कम मजदूरी दी जाती है व उनसे काम भी अधिक लिया जाता है। इसके अलावा, श्रम–शक्ति मे लगे हुए बच्चे अशिक्षित रह जात है जिससे उनसे प्राप्त होने वाली भविष्य मे सम्मावित आय भी कम हो जाती है। इनकी निम्न सामाजिक स्थिति होने के कारण बड़े–2 भू–स्वामी इनसे दासो कीतरह काम लेते है व नाममात्र की पगार पर इनसे बेगार ली जाती है। भूमिहीन किसान प्राय कच्चे मकान व झोपडियों मे रहने के लिए विवश होते है, एक या दो कमरों मे अनेक व्यक्तियों के रहने से इनकी नैतिक एव सामाजिक मर्यादा समाप्तहो जाती है। दूर–दूर तक गांव व क्षेत्रों मे बिखरे होने के कारण तथा पारस्परिकसंगठन की कमी की वजह से ये भू–स्वामियों से अपनी मजदूरी के सम्बन्ध मे सौदा करने मे असमर्थ होते है। इसके अतिरिक्त न्योजन काल मे कृषि क्षेत्र मे मशीनों काप्रयोग बढ़ने की वजह से भी अशिक्षित कृषि श्रमिको मे भारी मात्रा मे बेरोजगारी बढ़ रही है जो एक गम्भीर समस्या का रूप धारण कर रही है।

सरकार द्वारा खेतिहर मजदूरो की दशा सुधारने के लिए किए गए प्रयत्नः

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारणः–

यह एक 1948 में पास कर दिया गया है मई 1955 से भारतीय श्रम सम्मेलन मे 14 वे अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि राज्य सरकारे कभी भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है जम्मू–काश्मीर, नागालैंड और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य मे न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो गई है लेकिन कमजोर सौदाकारी शक्ति के कारण खेतिहर मजदूरो को अभी तक इस वैधानिक व्यवस्था का लाभ नही होनेपाया है।

बन्धुआ–मजदूर उन्मूलनः–

सविधान में मूल अधिकारों मे कहा गया है कि मनुष्य का व्यापार और बेगार तथा अन्य प्रकार का जबरन मजदूरी निषिध्द्व है और इसका उल्लंघन कानून द्वारा दण्डनीय है। अक्टूबर 1975 मे केन्द्रीय सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया बाद मे इस अध्यादेश के स्थान पर 1976 मे एक कानून बना दिया गया। इस कानून के बन जाने पर खेतिहर मजदूरों को पेशगी देकर बन्धुआ बनाना गैर–कानूनी हो गया।

खेतिहर मजदूरो को भूमि प्रदान करना–

भूमि सुधारों के द्वारा जमीन खेतिहर मजदूरो को अबतक 70 लाख हैक्टेयर भूमिखेतिहर मजदूरो मे बांटी जा चुकी है।

सीमान्त किसान एवं मजदूर विकास एजेंसी–

इस योजना के अन्तर्गत 2½ एकड़ से कम भूमि के मालिक को किसान माना गया तथा आय का 50 प्रतिशत कार्यक्रम का उद्देश्य खेतिहर मजदूरों को सिंचाई, भूमिसरंक्षण, पीने का पानी उपलब्ध कराने, सड़को का निर्माण जैसे कार्यक्रमों मे रोजगार प्रदान करना था।

रोजगार परक कार्यक्रम–

विभिन्न योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीब लोगो को रोजगार उपलब्ध करवानेहेतु कई कार्यक्रम शुरू किए गए है जैसे– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980) मे यह कार्यक्रम ग्रामीण जनसंख्या के उस हिस्से के लिए बनाया गया था। जिनके पास साल के कुछ महीनों मे काम नही होता है और अधिकतर मजदूर रोजगार पर निर्भर करते है इसे जवाहर रोजगार योजना अंश बना दिया गया। खेतिहर मजदूर 1989–90 मे गारन्टी योजना कार्यक्रम इस कार्यक्रम का उददेश्य खेतिहर मजदूर के परिवारों में से कम से कम एक सदस्य को साल मे 100 दिन रोजगार प्रदान करता है। स्वर्ण जयन्ति ग्रम स्वरोजगार योजना (1999) यह ग्रामीण निर्धनो के लिएस्वरोजगार का एक मामकार्यक्रम है इसका उद्देश्य स्वरोजगार हेतु सेक से ऋण व सरकारी अर्थ–सहायता प्रदान करके आय–सृजन की परिसम्पितियां उपलब्ध कराना है।सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001) इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र मे अतिरिक्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना जिससे ग्रामीणो को खाध सुरक्षामिल सके और ग्रामीण क्षेत्रो में सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक आधारित सरंचना का निर्माण करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (2009)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसी एक वित्तीय वर्ष मे प्रत्येक ऐसे ग्रामीण पारिवार के एक व्यस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन रोजगार प्रदान करना है। लाभार्भियो मे कम से कम 33 प्रतिशत होनी चाहिए। यह अधिनियम विकेन्द्रीकरण तथा नीचे के स्तर तक प्रजातान्त्रिक ढाये को मजबूत करने का एक अनमोल अस्त्र भी है। विश्व भर मे यह पहला अधिनियम है जो इतने बड़े पैमाने पर मजदूरी–रोजगार की गारन्टी देता है।

कृषि सम्बद्व क्षेत्रों मे रोजगारः–

कृषि एवं इससे सम्बन्धित निम्नलिखित व्यवसायों द्वारा खेतिहर किसानों के आय व ग्रामीण युवाओ के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा सकते है। जिनमे से कुछ इस प्रकार हैः–

(क) पशुपालन एव डेयरी उधोग–

भूमिहीन श्रमिको, छोटे किसानो व बेरोजगार ग्रामीण युवाओ के लिए यह एक अच्छा व्यवसाय है। पशुओं प्राप्त दूध एवं पशु शक्ति के विभिन्न उपयोगों के अलावा उनके बाल, मांस, चमड़े एवं हड्डी पर आघारित उद्योगों द्वारा रोजगार बढ़ाने की प्रबल सम्भावनाऐं है।

(ख) मुर्गी पालनः –

भूमिहीन किसानों के लिए मुर्गी पालन रोटी–रोजी का मुख्य आधार हो सकता है। मुर्गी पालन बेरोजगारी घटाने के साथ देश मे पौष्टिकता बढ़ाने का भी बेहतर विकल्प है। निरन्तर बढ़ती आबादी, खाधान्न आदतों मे परिवर्तन, औसत आय मे वृद्वि, बढ़ती स्वास्थ्य सचेतता व तीव्र शहरीकरण मुर्गी पालन के भविष्य को स्वर्णिम बना रहे है।

(ग) मछली पालन–

मछली पालन मे भी पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक महत्व होता है व इस उधोग मे भी लागत की तुलना मे आमदनी अधिक होती है।

(घ) भेड़ बकरी पालन–

भूमिहीन बेरोजगारो के लिए यह एक अच्छा व्यवसाय है। मांस, ऊन तथा चमड़ा उधोग के लिए कच्चा माल का स्त्रोत होने के कारण, इस व्यवसाय के द्वारा रोजगार की प्रबल सम्भावनाऐं है।

(ड) मधुमक्खी पालन–

शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन एक लाभदायक एवं आकर्षक व्यवसाय बनता जा रहा है। इसमे कम समय, कम लागत व कम पूंजी निवेश की जरूरत होती है।

(च) कृषि आधारित कुटीन उधोग धन्धे–

जैसे बांस, अरहर तथा कुछ अन्य फसलों एवं घास के तनो एवं पत्तियों द्वारा टोकरियां, चटाईयां तथा हस्तचालित पंखें, मूंज से रस्सी, मोढे बनाना, बेत की कुर्सी व मेज बनाना आदि से रोजगार व आय के साधन बढाये जा सकते है।

उपरोक्त व्यवसायों मे से कृषिक अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाकर अपनी जीविका चलाने के साथ–साथ लाभ भी कमा सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा कौन–2 सी सुविधाऐं व अनुदान उपलब्ध करवाये जा रहे है आदि जानकारियों का लाभ उठा कर किसान भाई स्वरोजगार की तरफ उन्मुख हो सकते है।

खेतिहर मजदूरो की दशा मे सुधार के लिए उपाय–

योजना आयोग के अनुसार कृषि श्रमिको की समस्याऐं हमारे लिए एक चुनौती है और इस समस्याओ का समुचित समाधान खोजने का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण समाज पर है'' कृषि श्रमिक भी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओ का समाधान करने के लिए दोतरफा युक्ति अपनाने की आवश्यकता है। एक तो उन्हें भूमि देने की आवश्यकता है तथा दूसरे उनके लिए रोजगार के वेकल्पिक अवसर पैदा करने कीआवश्यकता है खेतिहर मजदूरों की हालत मे सुधार लाने की दिशा मे सम्मावित कदम सर्वप्रथम, खेतिहर मजदूरों की काम–काज की दशाओं मे सुधार करने हेतु

उनके काम के घन्टे निर्धारित करने चाहिए। बच्चों के काम करने पर रोक लगाकर उन्हें शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित किया जाए, स्त्रियों का सम्मान रखते हुए उन्हेंकेवल दिन मे ही कार्य पर रखा जाए व इन्हे पुरूषों के सम्मान वेतन व विश्राम दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों मे वृद्वि हेतु कुटीर व लघु उधोगातथा हस्तशिल्प कार्यो के बढ़ावा दिया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित खेतिहर मजदूर परिवार को संगठित कर उनकी सौदाकारी शक्ति मे सुधार किया जाए ताकि वे न्यायोचित मजदूरी के साथ–साथ मानवीय का मकान की सम्मान जनक दशाओ को हासिल कर सके। फसलों की बुवाई व कताई की अवधि के अतिरिक्त समय मे गैर–कृषि क्षेत्रों मे रोजगार के अवसर पैदा किए जाए इसके साथ–साथ राज्य सरकारे उन्हें बीमा, स्वास्थ्य व

वृद्वाव्यस्था जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर तथा उन्हें आवश्यक खाधान सामग्री सस्ते राशन भी सरकारी दूकाने द्वारा उपलब्ध करवाये। कृषि श्रमिको के जीवन स्तर को उच्चा उठाने व सम्मान –जनक बनाने हेतु न्यूनतम मजदूरी व बन्धक श्रम उन्मूलन जैसे कानूनो को सख्ती से लागू किया जाए ताकि ये लोग भी समाज की सामान्य जीवन धारा मे शामिल हो सके।

सन्दर्भ

1. ''ए0.वी0.जोश'' *''एग्रीकल्चर वेजिज इन इन्डिया'*, इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकलविकली, जून 25, 1988।
2. निलान्जा घोष– *''कृषक कल्याण का निश्चयः सपना और हकीकत'*, योजना जुलाई
3. 2017।
4. पी0.के0. गुप्ता, श्रम अर्थ शास्त्र, वृन्दा पब्लिकेशन प्रा0.लि0. दिल्ली।
5. वी0.के0. पुरी व एस0.के0. मिश्रा, भारतीय अर्थ व्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस दिल्ली।
6. वीरेन्द्र कुमार, *''कृषि सम्बद्व क्षेत्रः किसानों की आय बढ़ाने मे मददगार'*, कुरूक्षेत्र, अप्रैल 2018